रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1109] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2007/भाद्र 22, 1929
No. 1109] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2007/BHADRA 22, 1929

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2007

का.आ. 1538(अ).—केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 का 45) की धारा 8 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित निम्नलिखित स्तर के अधिकारियों को, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के प्रयोजन से उक्त सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित, केन्द्र सरकार द्वारा अथवा किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगमों, केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली अथवा इसके द्वारा नियंत्रित सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के लिए एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है :—

सारणी

क्रम. सं.	निगमों/सरकारी कम्पनियों/सोसाइटियों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का नाम और श्रेणी	अधिकारियों का स्तर
(1)	(2)	(3)
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूची 'क' और 'ख' के उपक्रम	बोर्ड के मुख्य कार्यकारी और कार्यकारी ई-8 और इससे ऊपर के स्तर के अन्य अधिकारी।
2.	सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूची 'ग' और 'घ' के उपक्रम	बोर्ड के मुख्य कार्यकारी और कार्यकारी ई-7 और इससे ऊपर के स्तर के अन्य अधिकारी।
3.	भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एस.आई.डी.बी.आई.	ग्रेड 'जी' और इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी।
4.	सामान्य बीमा कम्पनियाँ	प्रबंधक और इससे ऊपर के स्तर के।
5.	जीवन बीमा निगम	वरिष्ठ प्रभागीय प्रबंधक और इससे ऊपर के स्तर के।
6.	सोसाइटियाँ और अन्य स्थानीय प्राधिकरण	अधिसूचना की तारीख को और समय-समय पर संशोधित किए जा सकने वाले, केन्द्रीय सरकार की वेतनवृद्धि पैटर्न के आधार पर 8700/- रुपये प्रति माह और इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी।

[सं. 418/2/2004-ए.वी.डी.-IV]

पी. के. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव